न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/183/2025	2025/242	09.07.2025	01.01.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र मदनलाल,
2. सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल,

जाति आदी गोड ब्राह्मण निवासी ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–

01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी

–ःनिर्णयः–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी (सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी) द्वारा विद्वान राजकीय अभिभाषक के माध्यम से 'राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970' के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसके द्वारा अप्रार्थी/आवंटी के पक्ष में ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न0 1773 रकबा 1.02 है0 किस्म गै.मु. मूर्ति कला भवन भूमि का आंवटन किया गया। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा न0 1773 रकबा 1.02 है0 किस्म गै. मु.मूर्ति कला भवन भूमि वाके ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का थानागाजी की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा न0 1773 रकबा 1.02 है0 किस्म गै.मु.मूर्ति कला भवन भूमि वाके ग्राम थानागाजी, का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री दीपक मीणा ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थीगण (आवंटी) ने आवंटन की शर्तों का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने न्यायालय का ध्यान पटवारी हल्का थानागाजी की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 की ओर आकर्षित किया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आवंटी का कोई कृषि कब्जा नहीं है। भूमि पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं पाई गई है। आवंटित भूमि के भाग (रकबा 0.02 हेक्टेयर) पर पक्की दुकानें निर्मित कर ली गई हैं, जो कि व्यावसायिक उपयोग की श्रेणी में आता है। भूमि का उपयोग भी कृषि कार्य हेतु नहीं किया जा रहा है। अन्त में विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि चूँकि भूमि 'कृषि आवंटन नियम 1970' के तहत दी गई थी, अतः इसका व्यावसायिक उपयोग (दुकानें बनाना) या इसे बंजर छोड़ना, नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण का पर्याप्त आधार है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पटवारी रिपोर्ट का गहनता से परीक्षण किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है और क्या उक्त आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त किए जाने योग्य है?

जमाबंदी एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित खसरा नं. 1773 अप्रार्थीगण रामगोपाल व सन्तोष कुमार पुत्रान मदनलाल के नाम दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 के अनुसार, यदि कोई आवंटी आवंटित भूमि का उपयोग कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन (जैसे व्यावसायिक निर्माण) के लिए करता है, या आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करता है, तो आवंटन अधिकारी को उक्त आवंटन निरस्त करने का अधिकार है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 इस प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि मौके पर रकबा 0.02 हेक्टेयर में 'पक्की दुकानें' बनी हुई हैं और शेष भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह तथ्य प्रमाणित करता है कि भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं हो रहा है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा इसे आवंटित किया गया था।

अतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की मूल शर्तों का उल्लंघन किया है। कृषि भूमि पर व्यावसायिक निर्माण करना और कृषि कार्य बंद कर देना, आवंटन नियमों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को बहाल रखा जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी (तहसीलदार थानागाजी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम थानागाजी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा नं. 1773, रकबा 1.02 हेक्टेयर का आवंटन, जो अप्रार्थीगण (1) रामगोपाल पुत्र मदनलाल व (2) सन्तोष कुमार पुत्र मदनलाल के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)